न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री सुनील कुमार**-I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— **67/2024** GCMS 2024/144

प्रार्थीः—

1. गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी बेगपुरा तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थी :—

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

—:निर्णय :—

दिनांकः—20/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना—पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा बेगपुरा पटवार हल्का चावण्डिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा सं. 17 कुल रकबा 2.59 है. किस्म बारानी द्वितीय में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि आई हुई है। जिसकी खतौनी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में प्रार्थी का 1/4 व 1/12 हिस्सा बैचाननामा से रामूराम पुत्र गोगाराम द्वारा खरीद किया हुआ है। इसलिए इसका नामांतकरण राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरण सं. 389 द्वारा अलग से दर्ज किया गया है व 1/4 हिस्सा प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से गोमाराम पुत्र पदमाराम से दिनांक 26.07.1998 को खरीद किया था। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में से जब गोमाराम पुत्र पदमाराम द्वारा बैचाननामा गोपालराम कुलरिया के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया था तब बेचाननामे में त्रुटिवश घर का बोलता नाम गोरधनराम लिखवा दिया था जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गोरधनराम पुत्र गोमाराम के नाम से नामांतरण दर्ज कर दिया था। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम ही अंकित है। जो सही एवं सत्य है। लेकिन भूलवश प्रार्थी का नाम ग्राम बेगपुरा के खसरा नंबर 17 की भूमि में गोरधनराम पुत्र गोमाराम अंकित हो गया था जो कि गोपालराम कुल[illegible] के संपूर्ण दस्तावेजों में व ग्राम बेगपुरा के खसरा नंबर 17 की भूमि में 1/12 हिस्से में प्रार्थी का नाम गोपालराम अंकित है। जो सही व सत्य है [illegible] की भूमि के 1/4 हिस्से में जो बेचाननामा द्वारा गोरधनराम पुत्र गोमाराम दर्ज हो गया है को गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राशनकार्ड, आधारकार्ड, जमाबंदी, ग्राम पंचायत चावण्डिया का प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

बेगपुरा के खसरा नंबर 17 रकबा 2.59 है. में प्रार्थी के 1/4 हिस्से में गोरधनराम पुत्र गोमाराम की जगह सही नाम गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम दर्ज किया जाने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत किया गया। शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। ग्राम बेगपुरा के खसरा नम्बर 17 रकबा 2.59 हैक्टयर में प्रार्थी के 1/4 हिस्से में गोरधनराम पुत्र गोमाराम के स्थान पर सही नाम गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश दिये जाते है :—

—:आदेश :—

ग्राम बेगपुरा के खसरा नम्बर 17 रकबा 2.59 हैक्टयर में प्रार्थी के 1/4 हिस्से में गोरधनराम पुत्र गोमाराम के स्थान पर सही नाम गोपालराम कुलरिया पुत्र गोमाराम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:56 IST
Reason: SelfAttested